कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक शिविरा /माध्य /संस्था /बी–2 /45002/ प्रधानाचार्य/2019 दिनांक 10.07.2019 द्वारा श्री चरण सिंह, प्रधानाचार्य ले. उम्मेद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंगली सलेदी सिंह जिला झुन्झूनूं का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खत्रियों की बेरी, धोरीमन्ना जिला बाडमेर किया गया था। तत्पश्चात विभागीय आदेश दिनांक 17.07.2019 द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान संशोधित किया जाकर शहीद वीर बहादुर सिंह राठौड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परेवा जिला जैसलमेर किया गया। श्री चरण सिंह द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.07.2019 के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1800/2019 चरण सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 1800/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2019 द्वारा अपीलार्थी को उनकी व्यक्तिगत परेशानियों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर दिनांक 14.06.2019 तक एक अभ्यावेदन पेश करने और सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 05.09.2019 तक एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसाारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं का स्थानान्तरण 600 किमी दूर किये जाने, अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों, उनके द्वारा विद्यालय में नामांकन वृद्धि हेतु किये गए प्रयास, विद्यालय एवं छात्र हित में अपना स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर पुनः ले. उम्मेद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नंगली सलेदी सिंह जिला झुन्झूनूं में प्रधानाचार्य के पद पर यथावत पदस्थापित रखे जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी हैं और सेवा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि **स्थानान्तरण सेवा का एक आनुषांगिक तत्त्व होता है एवं प्रशासनिक आवश्यकता एवं विभागीय प्राथमिकता में स्थानान्तरण करना नियोक्ता का विशेष अधिकार है। अपीलार्थी के सम्बन्ध में जारी आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.07.2019 एवं 17.07.2019 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध आदेश हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस बनाम बिहार सरकार (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) प्रकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार के प्रकरणों में हस्तक्षेप किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है।**

राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में यह अवधारित किया गया है कि **"A govt. servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred\posted from one place to the other. Transfer\posting orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."**

जहां तक अपीलार्थी द्वारा स्वयं को 600 कि.मी. दूर पदस्थापित किये जाने का अभिकथन किया गया है तो इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू. एल.सी. 2007(2) 276 में अवधारित किया गया है कि **"So far as the plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot**

be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted.The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial.It does not involve any violation of Service Rules."

उपर्युक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री चरण सिंह द्वारा की गई मांग उचित एवं नियमानुकूल नहीं होने के आधार पर अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। अपीलार्थी श्री चरण सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 17.07.2019 की अनुपालना में अपने स्थानान्तरित स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के प्रावधानान्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा—मा./संस्था/बी—2/चरण सिंह/अपील/1800/2019 दिनांक 21.08.2019

प्रतिलिपिःअग्रांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, झुन्झूनूं को पाबन्द किया जाता है कि वे श्री चरण सिंह, प्रधानाचार्य को तत्काल कार्यमुक्त कर आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, झुन्झूनूं।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि), माध्यमिक, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. प्रधानाचार्य, ले. उम्मेद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंगली सलेदी सिंह, झुन्झूनूं
9. सम्बन्धित अपीलार्थी को आदेश की पालनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)